आयोग का पहचान पत्र पेश किया है तथा प्रार्थी अर्जुन का राशन कार्ड पेश किया है, का नाम शोराम दर्ज है। प्रार्थीगण अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र के तथ्यों कॉर्ड दस्तावेज अनुसार स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है। प्रस्तुत जमाबन्दी खाता सं. । सं. 1 में वर्णित भूमि में प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम शोराम र्ज होना साबित होता है। अन्य जमाबन्दिया चरण सं. 2, 3 व 4 में प्रार्थीगण के पिता का नाम । के स्थान पर श्रीराम सहवन से दर्ज होना सिद्व होता है। अतः प्रार्थीगण के पिता का नाम त जमााबन्दी खातों में शुद्व किया जाना न्यायोचित है।

अतः जमाबन्दी चरण सं. 2 में अंकित खाता सं. 235 खसरा सं. 967 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा तथा चरण सं. 3 में अंकित खाता सं. 281 खसरा सं. 920 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा, चरण सं. 4 में वर्णित खाता सं. 281 खसरा सं. 920 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा, खाता सं. 74 के खसरा सं. 968 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम बणजारी बावणी ग्राम बड़ी पड़ाप पटवार हल्का रजलावता में खातेदार मानसिंह, गोरधन, गोपाल, अर्जुन पिता श्रीराम के स्थान पर पिता का नाम शोराम इन्द्राज दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे, शेष बदस्तुर रहेगा।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवाँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2020.02.29 12:25:11 IST
Reason: SelfAttested